

BDA/01/133

संख्या-<sup>111363</sup>/80-1-2007-600(22)/02टी.सी.।

प्रेषक,

गया प्रसाद कमल,  
उप सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
मण्डी परिषद,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-। लखनऊ: दिनांक-1 अगस्त, 2007

विषय- बल्क परचेज योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-2007-2008 में कार्य करने की अनुमति दिये जाने के संबंध में।

गोधोदय,

338  
18/08

गुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश में गोहों का थोक कय करने वाली खादय प्रसंस्करण इकाई/थोक व्यापारियों को उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा-26एग में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्गत शासनादेश संख्या-240/12-5-2002-600(22)/2002, दिनांक-4-2-2002 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष-2007-2008 में बल्क परचेज योजना के अन्तर्गत 10 आई0 टी0 सी0 लि0 को 5.00 लाख टन गोहों तथा अन्य सभी अनाजों के कय की अनुमति दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

2 कृपया तदनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

M.O (33)/5.0(11-2)

M.L.

8

16 0-07

मुवदीय,  
M.L.  
(गया प्रसाद कमल)  
उप सचिव।